अभिलेख नाश-करण अधिनियम, 1917

(1917 का अधिनियम संख्यांक 5)[1]

[28 फरवरी, 1917]

न्यायालयों तथा राजस्व एवं अन्य लोक अधिकारियों के कब्जे या अभिरक्षा में की कतिपय दस्तावेजों को नष्ट या उनका अन्य प्रकार से व्ययन करने का उपबंध करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए

अधिनियम

यत: न्यायालयों तथा राजस्व एवं अन्य लोक अधिकारियों के कब्जे या अभिरक्षा में की कतिपय दस्तावेजों को नष्ट या उनका अन्य प्रकार से व्ययन करने का उपबन्ध करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अभिलेख नाश-करण अधिनियम, 1917 है ।

[2][इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है, सिवाय [3][उन राज्यक्षेत्रों के, जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में सम्मिलित थे] ।]

2. [परिभाषाएं ।] —विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

[4]**3. दस्तावेजों का व्ययन करने के लिए कतिपय प्राधिकारियों को नियम बनाने की शक्ति**—(1) इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी दस्तावेजों को, जो नियम बनाने वाले प्राधिकारी की राय में इतनी पर्याप्त लोक महत्व की नहीं है कि उनके परिरक्षण का कोई औचित्य हो, नष्ट करके या अन्य प्रकार से उनका व्ययन करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकेंगे ।

(2) वह प्राधिकारी होंगे—

(क) किसी उच्च न्यायालय के अथवा उसके अधीनस्थ सिविल या दांडिक अधिकारिता वाले न्यायालयों के कब्जे या अभिरक्षा में की दस्तावेजों की दशा में—उच्च न्यायालय;

(ख) राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों के कब्जे या अभिरक्षा में की दस्तावेजों की दशा में—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी[5]; और

(ग) किसी अन्य लोक अधिकारी के कब्जे या अभिरक्षा में की दस्तावेजों की दशा में,—

[6][(i) यदि दस्तावेजों का सम्बन्ध किसी राज्य के प्रयोजनों से है, तो राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(ii) किसी अन्य दशा में, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ।]

[7][(3) इस धारा के अधीन किसी उच्च न्यायालय, या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी[8] या किसी राज्य सरकार से इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे, और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे ।]

4. दस्तावेजों के व्ययन के लिए पूर्वतन नियमों का विधिमान्यकरण—किसी लोक अधिकारी के कब्जे या अभिरक्षा में के दस्तावेजों को नष्ट या उनका अन्य प्रकार से व्ययन करने का निदेश देने अथवा प्राधिकृत करने वाले सभी नियम और आदेश, जो किसी

---

[1] 1962 के विनियम सं०12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा यह अधिनियम गोवा, दमण और दीव पर; 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] धारा 3 यू०पी० बोर्ड आफ रेवेन्यू ऐक्ट, 1922 (1922 के यू०पी० अधिनियम सं० 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा यू०पी० में लागू करने के लिए संशोधित की गई ।

[5] मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की परिभाषा, जो पहले धारा 2 में सम्मिलित थी, के लिए अब देखिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा उस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की परिभाषा के लिए देखिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 ।

राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो अभिलेख नाश-करना अधिनियम, 1879 (1879 का 3) के अधीन ऐसे नियमों को बनाने के लिए सशक्त नहीं है, एतत्पूर्व बनाए गए हैं, उस तारीख से, जिसको वे बनाए गए थे, विधि का बल रखने वाले समझे जाएंगे और इस समय प्रवृत्त ऐसे सभी नियम और आदेश उस समय तक विधि का बल रखते रहेंगे जब तक वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते।

5. कतिपय दस्तावेजों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसी दस्तावेज के, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रखी और बचाई जानी है, नष्ट किए जाने को प्राधिकृत करती है।

6. [**निरसन**।]—निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) द्वारा निरसित।

अनुसूची—[**अधिनियमितियों का निरसन**।]—निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।